



प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 13/03/2024**

विषय:- पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मद से रु.5760.34 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक यूपीसीडा के पत्र संख्या-978/यूपीसीडा/पीजीएमएस/पी0एम0 गतिशक्ति, दिनांक 23.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में पी0एम0 गतिशक्ति रिवाल्विंग फण्ड मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासन के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा स्वीकृति कार्ययोजना के क्रम में कुल 39 कार्यों का आगणन उपलब्ध कराया गया है एवं कार्यों के सम्मुख अंकित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार नये निर्माण कार्यों एवं उसके सम्मुख अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है-

Details of estimates proposed at various industrial areas under Nagar**Nigam, Gaziabad**

Sl. no	Name of Work	Amount (in Lakh)
Industrial Area site-4 Sahibabad Ghaziabad		
1	Providing And Fixing of Cantilever Gantry Sign Board, Road Direction Board and Guide Map in Industrial Area Site-4 Sahibabad Ghaziabad	69.50
I.A, Loha Mandi, Distt.-Ghaziabad		
2	Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Rd. No. 3, 5, 6, 8, 12 & 17 At L.A. Loha Mandi, Distt Ghaziabad.	445.04
3	Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Rd. No. 10, 11, 18 & 19 At I.A. Loha Mandi, Distt Ghaziabad.	271.23
4	Providing And Fixing Signage Board & Road Safety Devices at IA Loha Mandi, Distt. Ghaziabad	26.91
I.A. South Side G.T. Road, Distt: Ghaziabad		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	Widening, Strengthening & Interlocking Tiles of Existing Road from Road No.8 (Rathi Road) to Plot No. 35/1 & From Plot No. E- 32 to C-14(N.H.-9) at I.A. South Side G.T. Road, Distt: - Ghaziabad	459.51
6	Widening & Strengthening of Existing Road from Plot no.-3/5 (Rathi Road) to Plot No. G-1 (Petrol Pump) and from Plot no, 27 to 29& Sub Division Road of Plot No. 33 And R.C.C. Drain at I.A. South Side G.T. Road, Distt: - Ghaziabad	443.37
7	Widening, Strengthening and Construction of R.C.C. Drain of Sub Division Road of "A Block" at I.A. South Side G.T. Road. Distt: Ghaziabad.	477.37
8	Providing And Fixing of Cantilever Gentry Sign Board Road Direction Board and Guide Map in Industrial Area South Side Gt Road Ghaziabad	19.89
Name of Work औद्योगिक क्षेत्र बुलंरशहर रोड़ गाजियाबाद।		
9	Bulandshahar road Industrial Area Main Road No. Construction work of 21 drain & RCC road ka Nirman Karya.	227.58
10	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. 11 Nala & RCC Road ka Nirman Karya.	123.93
11	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 23 drains and RCC road.	239.77
12	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 22 drains and RCC road ka Nirman Karya.	233.67
13	Bulardshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 2 Per Nala & RCC Road ka Nirman Karya.	360.21
14	Construction work of drain & RCC road from B 22/6 to B 22/3 till back side of Bulandshaher Road Industrial Area Main Mukherji Park ka Nirman Karya.	156.01
15	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 18 Per Nala & RCC Road ka Nirman Karya.	124.90
16	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. 12 Construction work of drain & RCC road ka Nirman Karya.	172.71
17	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. 20 per drain & Construction work of RCC Road ka Nirman Karya.	91.84
18	Strengthening/Widening of Existing Road No. 2 (Part) 24, 32 & 33 And Construction of Drain at Rond No. 9 &	382.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	34 AL IA Bulandshahar Road Distt: Ghaziabad	
19	Providing And Fixing of Cantilever Gantry Board, Road Direction Board and Guide Map Industrial Area Bulandshahar Road, Ghaziabad.	38.77
Total		4364.9
Civil Total		

विद्युत कार्यों की लागत निम्नानुसार है:-

Sl.No.	Name of I.A	Name of Work	Amount (in Lakh)
1	Bulandshahar Road	Led Hight Mast	68.77
2		Led Street Led Hight Mast	397.88
3		Led Hight Mast	55.54
4	Loha Mandi	Led Street Led Hight Mast	89.00
5	SGST	Led Hight Mast	68.60
6		Led Street Light Network	317.42
7	Sahibabad Site-4	Led Hight Mast	398.23
योग विद्युत कार्य			1395.44
Grand Total (Civil+Electirical)			5760.34

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्ष 6875-अन्य उद्योगों के लिए कर्ज, 60- अन्य उद्योग, 800- अन्य कर्ज, 03-पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण में एकमुश्त धनराशि रु. 20000.00 लाख के सापेक्ष उक्त तालिका में अंकित कुल 19 सिविल कार्य लागत रु.4364.90 लाख एवं 7 विद्युत कार्य लागत रु.1395.44 लाख अर्थात् कुल लागत रु. 5760.34 लाख (रु. सत्तावन करोड साठ लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि स्वीकृत कार्य के लिए ही व्यय की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. यूपीसीडा द्वारा कार्ययोजना में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि व्यय की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपाल अधिकारी, यूपीसीडा, उत्तर प्रदेश द्वारा रखा जाएगा।
 7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
 8. यह धनराशि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं मानकों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा की मांग पर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा आहरित कर प्रदान की जाएगी।
 9. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा द्वारा किया जाएगा।
 10. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रु. 5760.34 लाख (रु. सत्तावन करोड़ साठ लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875608000300 पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2024/568/77-6-24-6099/138/2023 पार्ट-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी0।
- 3) नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 7) नियोजन अनुभाग-1/4
- 8) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।